170

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध)—160/2019— 368

प्रेषक,

सिकन्दर राय
अवर सचिव—सह—
जन सूचना पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

जन सूचना पदाधिकारी
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः— 30.05.2023

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री राम हाजरा, मकान सं0—24, जोन नं0—2/बी, बिरसानगर, जमशेदपुर का सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत् आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। श्री हाजरा के आवेदन की कंडिका—1, 2 एवं 3 में मांगी गई सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः उक्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) को सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—6 (3) के तहत् अंतरित करते हुए अनुरोध है कि वांछित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराते हुए, इसकी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराई जाय। आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु समर्पित 10/— रू0 का पोस्टल ऑर्डर इस कार्यालय को प्राप्त है।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन
30/05/23
(सिकन्दर राय)
अवर सचिव—सह—
जन सूचना पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः— रा0खा0आ0 (विविध)—160/2019— 368 राँची, दिनांकः— 30.05.2023

प्रतिलिपिः— श्री राम हाजरा, मकान सं0—24, जोन नं0—2/बी, बिरसानगर, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। आपके आवेदन की कंडिका—4 में उल्लेखित बिन्दु के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आयोग में NFSA—2013 के तहत् संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्राप्त परिवाद—पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु इन्हें सम्बन्धित पदाधिकारी को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में आयोग स्तर पर सुनवाई की जाती है। प्राप्त सभी परिवाद—पत्रों के सम्बन्ध में समेकित रूप से सूचना आयोग द्वारा संधारित की जाती है, किन्तु योजनावार सूचना आयोग में संधारित नहीं है।

30/05/23
(सिकन्दर राय)
अवर सचिव—सह—
जन सूचना पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx327

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

Mail Sent
30/05/23

O/C